Saathi

Date ___/___/_____

आलोक कुमार राय (प्रवक्ता)
लोकबन्धु राजनारायण विधि महाविद्यालय

भारतीय संविधान की विशेषताएँ :-

भारतीय संविधान देश का अमूल्य कोष एवं ऐसा दस्तावेज है जो राज्य के तीनों अंगों अर्थात् विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की स्थिति एवं शक्तियों को स्पष्ट करता है। यह राज्य के अंगों का सृजन करने के साथ-साथ उसके प्राधिकार को परिसीमित करता है और उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं।

1. विशालतम संविधान
2. संसदीय शासन प्रणाली
3. प्रभुत्वसम्पन्न, लोकतन्त्रात्मक, पंथनिरपेक्ष एवं समाजवादी गणराज्य की स्थापना।
4 नम्यता तथा अनम्यता का अनोखा मिश्रण
5. मूल अधिकारों का उपबन्ध
6. मूलकर्तव्य
7. राज्य के नीति निदेशक तत्व
8. आपातकाल में संविधान का एकात्मक स्वरूप, या केन्द्रोन्मुख संविधान
9 स्वतन्त्र न्यायपालिका
10 वयस्क मताधिकार
11 एकल नागरिकता
12 न्यायिक पुनर्विलोकन
13. पंथ निरपेक्ष राज्य की घोषणा

Saathi

Date __/__/__

1. विशालतम संविधान :-

भारतीय संविधान को सर आइवर जेनिंग्स ने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। जेनिंग्स का यह कथन वस्तुत: ठीक ही है। मूल रूप में भारतीय संविधान कुल 22 भागों में विभाजित था और इसमें 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थीं। किन्तु अब इसमें 25 भाग 12 अनुसूचियाँ व 395 अनुच्छेद हैं।

2. संसदीय शासन प्रणाली :-

भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि यह संसदीय शासन प्रणाली की घोषणा करता है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति यद्यपि कार्यपालिका का प्रधान होता है परन्तु वास्तविक शक्ति जनता के हाथ में निहित होता है, मंत्रिपरिषद के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और सामुहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

3. प्रभुत्व सम्पन्न, लोकतन्त्रात्मक, पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी गणराज्य की स्थापना :-

प्रभुत्वसम्पन्न राज्य उसे कहते हैं जो बाह्य नियन्त्रण से सर्वथा मुक्त हो और अपनी आन्तरिक व विदेशी नीतियों का निर्धारण स्वयं करता हो। इस सम्बन्ध में भारत पूर्णतया स्वतन्त्र है। यद्यपि भारत राष्ट्रमण्डल व संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं कि राष्ट्रमण्डल की सदस्यता से भारत की संप्रभुता पर विपरित प्रभाव पड़ता है और भारत को सदस्यता से पृथक कर लेना चाहिए।

REDMI NOTE 7 PRO
MI DUAL CAMERA

Saathi

Date __/__/____

लोकतन्त्रात्मक शब्द से अभिप्राय ऐसी सरकार से है जिसका समूचा प्राधिकार जनता में निहित होता है और जो जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित की जाती है। देश के वयस्क नागरिकों को संविधान मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है और देश का प्रशासन सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और ये प्रतिनिधि अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

पंथनिरपेक्ष शब्द को संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसका तात्पर्य ऐसे राष्ट्र से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता वरन सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करता है। इसकी अवधारणा संविधान की "विश्वास धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता" शब्दावली में निवाहित है।

समाजवाद शब्द भी संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसकी अवधारणा संविधान की प्रस्तावना की 'आर्थिक न्याय' शब्दावली में निहित है। साधारणतः समाजवाद से आशय ऐसी व्यवस्था से है जिसमे उत्पादन के मुख्य साधन या तो राज्य के हाथ में होते है या उनके नियन्त्रण में होते हैं। परन्तु भारतीय समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल देता है जहाँ व्यक्तिगत गतिविधियों को बराबर महत्व दिया जाता है

4. **नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण:-**

संविधान की नम्यता या अनम्यता उसकी संशोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। अतः उसकी सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए संशोधन की प्रक्रिया कठिन

MI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA

Saathi

Date ___/___/___

होनी चाहिए। देश एवं काल की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलापन का अद्भुत उदाहरण है। इसमें समय के परिवर्तन के साथ संशोधन किया जा सकता है। अधिकांश अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। केवल कुछ ऐसे अनुच्छेद है जिसमें परिवर्तन हेतु विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय संविधान इंगलैण्ड की तरह न तो अधिक लचीला और न अमेरिकी की तरह अधिक कठोर है।

5. मूल अधिकारों का उपबन्ध :-

मूल अधिकारों को संविधान के भाग III में समविष्ट किया गया है। ये वो अधिकार होते हैं जो मानवीय जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक होते हैं। मूल अधिकार जनता के अधिकारों का सजग प्रहरी होता है। ये अधिकार अमेरिकी संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की तरह आत्यान्तिक नहीं है इस पर सार्वजनिक हित में निर्बन्धन लगाए जा सकते हैं। इसकी अवहेलना पर आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं

6. मूलकर्तव्य :-

भारतीय संविधान नागरिकों के 11 मूलकर्तव्य की भी घोषणा करता है। यह भारतीय संविधान के भाग IV क में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया व 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 वाँ मूलकर्तव्य जोड़ा गया।

TE 7 PRO
CAMERA

Saathi

Date ___/___/___

7. राज्य के नीति निर्देशक तत्व :-

भारतीय संविधान लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना की द्राष्टि से नीति निर्देशक तत्वों का उपबन्ध करता है। ये नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग IV में वर्णित है। इसे आयरलैण्ड के संविधान से प्रेरणास्वरूप शामिल किया गया है। संविधान के 26वें व 42वें संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों के महत्व को अधिक बढ़ा दिया गया है। अब नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने वाली विधियों को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे अनु० 14 व 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है।

8. आपातकाल में संविधान का एकात्मक स्वरूप :-

भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि यह केन्द्र और राज्यों में अलग अलग सरकारों का उपबन्ध करता है। परन्तु आपात काल में यह केन्द्रोन्मुखी हो जाता है और केन्द्र को राज्यसूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

9 स्वतन्त्र न्यायपालिका :-

स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। संघात्मक संविधान में प्रायः दोहरी न्याय पद्यति होती है। इसके विपरित भारतीय संविधान न्यायप्रशासन की एक ही व्यवस्था करता है जिसके शिखर पर उच्चतम न्यायालय वर्तमान है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय समस्त [illegible] न्यायालय पर बाध्यकारी होता है। देश की विधियों में एकरूपता स्पष्टता व स्थिरिता की द्राष्टि से इकहरी न्याय व्यवस्था बेहतर है यह केन्द्र व राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा व मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है।

MI NOTE 7 PRO
DUAL CAMERA

Saathi

Date ___/___/______

10. वयस्क मताधिकार :-

लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था में जनता की सरकार होती है। देश का प्रशासन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष हो उसे निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है।

11. एकल नागरिकता :-

संघात्मक संविधान में साधारणतः दोहरी नागरिकता होती है - एक संघ की दूसरा राज्य की। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है लेकिन भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी केवल एक नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है। वह केवल भारत का नागरिक है और प्रत्येक नागरिक को नागरिकता से उत्पन्न सभी अधिकार, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ समान रूप से प्राप्त हैं।

12. न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति

न्यायिक पुनर्विलोकन हमारे संविधान का एक आधारभूत ढाँचा है (मिनर्वा मिल AIR 1980 SC 1789) यह विधायिका तथा कार्यपालिका संबन्धी कृत्यों की जाँच की शक्ति है। इसके अन्तर्गत न्यायालय द्वारा किसी भी ऐसी विधि को प्रवर्तित करने से इंकार किया जा सकता है जो संविधान के उपबन्धों से असंगत हो व शून्य भी घोषित किया जा सकता है।

13. पंथनिरपेक्ष राज्य की घोषणा :-

पंथनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। सभी को अपना धर्म मानने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी। राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबन्ध होगा। सरकारी नौकरी में सभी धर्म बराबर होंगे।

MI NOTE 7 PRO
AL CAMERA